HARYANA VIDHAN SABHA

Bill No. 19— HLA of 2024

THE HARYANA SIKH GURDWARAS (MANAGEMENT) AMENDMENT BILL, 2024

A

BILL

further to amend the Haryana Sikh Gurdwaras (Management) Act, 2014.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-fifth Year of the Republic of India as follows:-

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Haryana Sikh Gurdwaras (Management) Amendment Act, 2024.

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from the 14th October, 2024.

Amendment of section 46 of Haryana Act 22 of 2014.

2. In sub-section (1) of section 46 of the Haryana Sikh Gurdwaras (Management) Act, 2014,-

(I) for clause (i), the following clause shall be substituted, namely:-

"(i) is or at the time of his retirement or resignation was a Judge of the High Court or a District Judge not having less than ten years standing on his superannuation;";

(II) for clause (iv), the following clause shall be substituted, namely:-

"(iv) the Chairman shall be a Judge of High Court, if so appointed, and if a Judge of the High Court is not appointed, then the District Judge if so appointed and if the District Judge is also not appointed, then one of the three selected members of the Commission shall be the Chairman in the order of their seniority either in service or at Bar, as the case may be, and the term of the Chairman or the Member shall be five years from the date he assumes charge:".

Repeal and savings.

3. (1) The Haryana Sikh Gurdwaras (Management) Amendment Ordinance, 2024 (Haryana Ordinance No. 7 of 2024), is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or action taken under the principal Act, as amended by the said Ordinance, shall be deemed to have been done or taken under the principal Act, as amended by this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Whereas, The Haryana Sikh Gurdwaras (Management) Act, 2014 was enacted by the State Government with the objective of providing for autonomous management and effective supervision of Sikh Gurdwaras and Gurdwara Property in the State of Haryana. Section 46 of the said Act provides for constitution of Haryana Sikh Gurdwara Judicial Commission consisting of three members and the Chairman shall be a District Judge, if so appointed and if a District Judge is not appointed than one of the three members shall be the Chairman in the order of their seniority. The term of the Chairman or the Member shall be five years or the age of 65 years whichever is earlier. The Haryana Sikh Gurdwara Judicial Commission is a quasi-judicial authority, whose decisions are final. The dispute relating to the Gurdwara property, its funds and any other disputes between the Gurdwara Committee, Executive Board or any other institutions, are to be adjudicated upon by the Commission. Therefore, it has been deemed appropriate that a Judge of High Court should also be considered for appointment as a member and Chairman of the Commission. Further,in order to ensure effective functioning of the Commission, the upper cap of 65 years of age, as provided in clause (iv) of sub-section (1) of Section-46, should be removed.

A legislation i.e. 'The Haryana Sikh Gurdwaras (Management) Amendment Bill, 2024' to provide for appointment of a Judge of High Court as Members and Chairman of Commission and to remove the upper cap of 65 years of age and for matters connected therewith or incidental thereto, is required. Hence, this Bill.

NAYAB SINGH,
Chief Minister, Haryana.

Chandigarh :
The 8th November, 2024.

Dr. SATISH KUMAR,
Secretary.

N.B.— The above Bill was published in the Haryana Government Gazette (Extraordinary), dated the 8th November, 2024, under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly.

ANNEXURE

EXTRACT FROM THE HARYANA SIKH GURDWARA MANAGEMENT ACT, 2014

Judicial Commission and its functions.

Section 46. (1) There shall be constituted a Haryana Sikh Gurdwara Judicial Commission which shall consist of three members who shall be Sikhs as defined under this Act, appointed from time to time, as may be necessary by the State Government, by notification in the Official Gazette with the following qualifications —

(i) is or at the time of his retirement or resignation from the Government service was a District Judge not having less than ten years standing as such on his superannuation;

(ii) xxxx

(iii) xxxx.

(iv) The Chairman shall be District Judge if so appointed and if District Judge is not appointed then one of the three selected members of the Commission shall be the Chairman in the order of their seniority either in service or at bar, as the case may be, and the term of the Chairman or the member shall be five years or the age of 65 years whichever is earlier:

Provided that terms and conditions of appointment of the Chairman and members of the Commission shall be determined by the State Government in consultation with the Gurdwara Management Committee in the prescribed manner. The terms and conditions of appointment, salary, allowance etc. will be fixed by the Government in consultation with the Gurdwara Management Committee and the expenditure of the said purpose or any incidental charges including recruitment of helping staff and maintenance of the office shall be defrayed from the Haryana Government Treasury :

Provided further that Sikh Gurdwara Judicial Commission shall be a body corporate and shall work independently of the Commissioner Gurdwara Elections, Haryana Government or the Haryana Sikh Gurdwara Management Committee or the Executive Board, as the case may be:

Provided further that any decision taken by the Sikh Gurdwara Judicial Commission shall be final.

(2) The Commission shall adjudicate upon the disputes relating to Gurdwara property, movable or immovable including the Gurdwara fund and other incidental disputes inter se between the Gurdwara Committee, Executive Board or inter se between various Gurdwara and private individuals, or any other institutions or any other juristic persons.

11392—H.V.S.—H.G.P., Pkl.

[प्राधिकृत अनुवाद]

हरियाणा विधान सभा

2024 का विधेयक संख्या–19 एच०एल०ए०

हरियाणा सिख गुरूद्वारा (प्रबन्धक) संशोधन विधेयक, 2024

हरियाणा सिख गुरूद्वारा (प्रबन्धक) संशोधन अधिनियम, 2014 को आगे संशोधित करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा सिख गुरूद्वारा (प्रबन्धक) संशोधन अधिनियम, 2024 कहा जा सकता है।

(2) यह 14 अक्तूबर, 2024 से लागू हुआ समझा जाएगा।

2014 के हरियाणा अधिनियम 22 की धारा 46 का संशोधन।

2. हरियाणा सिख गुरूद्वारा (प्रबन्धक) अधिनियम, 2014 की धारा 46 की उप–धारा (1) में,–

(I) खण्ड (i) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"(i) अपनी सेवानिवृत्ति या त्यागपत्र के समय पर, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या जिला न्यायाधीश है या था, जिला न्यायाधीश के रूप में अपनी अधिवर्षिता पर कम से कम दस वर्ष की सेवा रखता हो;";

(II) खण्ड (iv) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"(iv) अध्यक्ष, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होगा, यदि इस प्रकार नियक्त किया गया है, और यदि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त नहीं किया जाता है, तो जिला न्यायाधीश होगा यदि इस प्रकार नियुक्त किया गया है, और यदि जिला न्यायाधीश भी नियुक्त नहीं किया जाता है, तो आयोग के तीन चयनित सदस्यों में से एक या तो सेवा में या बार में, जैसी भी स्थिति हो, उनकी वरिष्ठता के अनुसार अध्यक्ष होगा, तथा अध्यक्ष या सदस्य की पदावधि, उसके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पांच वर्ष होगी:"।

निरसन तथा व्यावृत्ति।

3. (1) हरियाणा सिख गुरूद्वारा (प्रबन्धक) संशोधन अध्यादेश, 2024 (2024 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 7), इसके द्वारा, निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

चूंकि, हरियाणा राज्य में सिख गुरूद्वारों और गुरूद्वारा संपत्ति के स्वायत्त प्रबंधन और प्रभावी पर्यवेक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा हरियाणा सिख गुरूद्वारा (प्रबंधक) अधिनियम, 2014 लागू किया गया था। उक्त अधिनियम की धारा 46 में हरियाणा सिख गुरूद्वारा न्यायिक आयोग के गठन का प्रावधान है जिसमें तीन सदस्य होंगे और अध्यक्ष, जिला न्यायाधीश होगा, यदि इस प्रकार नियुक्त किया जाता है और यदि जिला न्यायाधीश नियुक्त नहीं किया जाता है तो तीन सदस्यों में से एक उनकी वरिष्ठता के क्रम में अध्यक्ष होगा। अध्यक्ष या सदस्य का कार्यकाल पांच वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, होगा। हरियाणा सिख गुरूद्वारा न्यायिक आयोग एक अर्ध–न्यायिक प्राधिकरण है, जिसके निर्णय अंतिम होते हैं। गुरूद्वारा संपत्ति, उसकी निधियों और गुरूद्वारा समिति, कार्यकारी बोर्ड या किसी अन्य संस्थानों के बीच किसी भी अन्य विवाद से संबंधित विवाद पर आयोग द्वारा निर्णय लिया जाना है। इसलिए, यह उचित समझा गया है कि उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को भी आयोग के सदस्य और अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने पर विचार किया जाना चाहिए। इसके अलावा, आयोग के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, धारा–46 की उप–धारा (1) के खंड (iv) में प्रदान की गई 65 वर्ष की आयु की ऊपरी सीमा को हटा दिया जाना चाहिए।

आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष के रूप में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करने और 65 वर्ष की आयु की ऊपरी सीमा को हटाने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए प्रावधान करने के लिए एक विधि अर्थात हरियाणा सिख गुरूद्वारा (प्रबन्धक) संशोधन विधेयक, 2024 आपेक्षित है। अतः यह विधेयक प्रस्तावित है।

नायब सिंह,
मुख्यमन्त्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 8 नवम्बर, 2024.

डॉ० सतीश कुमार,
सचिव।

अवधेयः उपर्युक्त विधेयक हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 128 के परन्तुक के अधीन दिनांक 8 नवम्बर, 2024 के हरियाणा गवर्नमैंट गजट (असाधारण) में प्रकाशित किया था।

अनुबंध

हरियाणा सिख गुरूद्वारा (प्रबंधक) अधिनियम, 2014 से उद्धरण

न्यायिक आयोग तथा इसके कृत्य।

46. (1) हरियाणा सिक्ख गुरूद्वारा न्यायिक आयोग का गठन किया जाएगा जो तीन सदस्यों से बनेगा जो निम्नलिखित अर्हताओं संहित राजपत्र में अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार द्वारा यथा आवश्यक समय–समय पर नियुक्त इस अधिनियम के अधीन यथा परिभाषित सिक्ख होंगे–

(i) सरकारी सेवा से उसकी सेवानिवृत्ति या त्यागपत्र के समय पर जिला न्यायाधीश है या था जो उसकी अधिवर्षिता पर उसी रूप में कम से कम दस वर्ष की सेवा रखता हो;

(ii) xxxx...

(iii) xxxx...

(iv) अध्यक्ष, जिला न्यायाधीश होगा यदि इस प्रकार नियुक्त किया गया है तथा यदि जिला न्यायाधीश नियुक्त नहीं किया जाता है, तो आयोग के तीन चयनित सदस्यों में से एक सेवा में या बार में, जैसी भी स्थिति हो, उनकी वरिष्ठता के अनुसार अध्यक्ष होगा, तथा अध्यक्ष या सदस्य की अवधि पांच वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, होगी :

परन्तु आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य को नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तें विहित रीति में गुरूद्वारा प्रबन्धक समिति के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा अवधारित की जायेंगी। नियुक्ति, वेतन, भत्ते इत्यादि के निबन्धन तथा शर्तें गुरूद्वारा प्रबन्धक समिति के परामर्श से सरकार द्वारा नियत किए जाएंगे तथा सहायक अमले की भर्ती तथा कार्यालय के रख–रखाव सहित उक्त प्रयोजन या किसी आनुषंगिक प्रचारों का खर्च हरियाणा सरकारी खजाने से चुकाये जायेंगे :

परन्तु यह और कि सिक्ख गुरूद्वारा न्यायिक आयोग निगमित निकाय होगा तथा आयुक्त गुरूद्वारा निर्वाचन आयुक्त, हरियाणा सरकार या हरियाणा सिक्ख गुरूद्वारा प्रबन्धक समिति या कार्यकारी बोर्ड, जैसी भी स्थिति हो, का स्वतन्त्र रूप से कार्य करेगा:

परन्तु यह और कि सिक्ख गुरूद्वारा न्यायिक आयोग द्वारा लिया गया कोई निर्णय अन्तिम होगा।

(2) आयोग गुरूद्वारा निधि तथा गुरूद्वारा समिति तथा कार्यकारी बोर्ड के बीच परस्पर या विभिन्न गुरूद्वारा तथा निजी व्यक्ति या किसी अन्य संस्था या किसी अन्य विधिक व्यक्ति के बीच परस्पर अन्य आनुषंगिक विवादों सहित चल या अचल गुरूद्वारा सम्पत्ति से संबंधित विवादों को न्यायनिर्णीत करेगा।

11392—H.V.S.—H.G.P., Pkl.